



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229743
CG-DL-E-17092021-229743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3502]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 3502]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3814(अ).—केन्द्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 38) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 93/2020 तारीख 31 दिसम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना सं. 10/2021 तारीख 27, फरवरी 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्या 966 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 20/2021 तारीख 31 मार्च 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्यांक 1432(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 74/2021 तारीख 25 जून, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 2580(अ) तारीख 25 जून, 2021 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की उपधारा (1) का प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, कि—

(अ) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) है (जिसे इसके पश्चात आयकर अधिनियम कहा गया है) और,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई की पूर्णता, किसी आदेश पारित करने से संबंधित है, आयकर अधिनियम के अध्याय XXI के अधीन शास्ति लगाने के लिए,-

- (i) 30 मार्च, 2022 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा तय की गई है, अथवा आयकर अधिनियम के अधीन ऐसी कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए विहित या अधिसूचित की गई है।
- (ii) 31 मार्च, 2022 वह अंतिम तारीख होगी जो ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर कर दिया जाएगा।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई का अनुपालन आयकर अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी की आधार संख्या सूचित करने के संबंधित है, और ऐसे कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया जाएगा।

(ब) जहां निर्दिष्ट अधिनियम बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988, (1988 का 45) (इसके बाद बेनामी अधिनियम के रूप में संदर्भित) और उप-धारा (1) के खंड (क) में संदर्भित किसी भी कार्रवाई को पूरा करना है। उक्त अधिनियम की धारा 3 का, बेनामी अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी करने और उप-धारा (3) के तहत या किसी आदेश को पारित करने से संबंधित है,-

- (i) 30 जून, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान बेनामी अधिनियम में निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; तथा
- (ii) 31 मार्च, 2022 वह अंतिम तारीख होगी जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।

[अधिसूचना सं. 113 /2021/ फा.सं. 370142/35/2020/टीपीएल-भाग1]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान)

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी और का.आ. 2580(अ) तारीख 25 जून, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

S.O. 3814(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), and in partial modification of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 93/2020 dated the 31st December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4805(E), dated the 31st December, 2020 and No. 10/2021 dated the 27th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 966(E) dated the 27th February, 2021 and No. 20/2021 dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1432(E) dated the 31st March, 2021 and No. 74/2021 dated 25th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2580(E) dated the 25th June, 2021, (hereinafter referred to as the said notifications), the Central Government hereby specifies for the purpose of sub-section (1) of section 3 of the said Act, that,—

(A) where the specified Act is the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income-tax Act) and, —

(a) the completion of any action, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to passing of any order for imposition of penalty under Chapter XXI of the Income-tax Act, —

(i) the 30th day of March, 2022 shall be the end date of the period during which the time-limit specified in, or prescribed or notified under, the Income-tax Act falls for the completion of such action; and

(ii) the 31st day of March, 2022 shall be the end date to which the time-limit for completion of such action shall stand extended;

(b) the compliance of any action, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to intimation of Aadhaar number to the prescribed authority under sub-section (2) of section 139AA of the Income-tax Act, the time-limit for such the compliance of such action shall stand extended to the 31st day of March, 2022.

(B) where the specified Act is the Prohibition of *Benami* Property Transaction Act, 1988, (45 of 1988) (hereinafter referred to as the *Benami* Act) and the completion of any action, as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to issue of notice under sub-section (1) or passing of any order under sub-section (3) of section 26 of the *Benami* Act,—

(i) the 30th day of June, 2021 shall be the end date of the period during which the time-limit specified in or prescribed or notified under the *Benami* Act falls, for the completion of such action; and

(ii) the 31st day of March, 2022 shall be the end date to which the time-limit for completion of such action shall stand extended.

[Notification No. 113/2021/ F. No. 370142/35/2020-TPL-Part 1]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation Division

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 4805(E) dated 31st December, 2020 and was last amended *vide* S.O. 2580(E) dated 25th June, 2021.